

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 268 / 2023

प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण  
बनाम अप्रार्थीगण ओएनजीसी लिमिटेड  
रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

आदेश

दिनांक 12/06/25


तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक राजस्व/2022/857 दिनांक 04.04.2023 द्वारा मौजा काउ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर ने निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते जो खसरा संख्या 676/61 से सड़क तक रास्ता चल रहा है, जिसकी लम्बाई 18 गट्टा है, जिसे रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल - कवास

तहसील - बाड़मेर ग्रामीण


वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टि				
क्र. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्ते में प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)	रास्ते की लम्बाई चौड़ाई (गट्टा में)	लम्बाई X चौड़ाई	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	268/345	857/04.04.2023	काउ का खेड़ा	692/61	0.9712	गै.मु.प्र.	692/61	0.0291	18	4	गै.मु. रास्ता

नोट :- तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

  
(वीरमा राम)

उपखण्ड-अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड-अधिकारी  
बाड़मेर